जावक कमांक 876

दिनांक 27/7/16

प्रारूप दो

(नियम 6 देखिये)

छत्तीसगढ़ शासन

सोसायटी के रजिस्ट्रीकरण का प्रमाण–पत्र

क्रमांक संभाग– रायपुर / जिला– रायपुर / प0.क.–35328

यह प्रमाणित किया जाता है कि..........एल.आर. एकेडमिक सोसायटी, तिल्दा ....

समिति जो......................वार्ड क. 15 गार्डन पानी टंकी के पास गुरुघासीदास चौक नेवरा पोस्ट नेवरा..............

तहसील........तिल्दा............जिला.......रायपुर.......में स्थित है, छत्तीसगढ़ सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1973 (का क्रमांक 44 सन् 1973) के अधीन तारीख.......25 / 07 / 2016..........को रजिस्ट्रीकृत की गई है।

25/7/16

(डी. एल. धुर्वे)

सहायक रजिस्ट्रार

सोसायटियों के रजिस्ट्रार

फर्म्स एवं संस्थाएं, रायपुर एवं दुर्ग संभाग

रायपुर, छत्तीसगढ़

सहायक रजिस्ट्रार * फर्म्स एवं संस्थाएँ, रायपुर-दुर्ग संभाग, छत्तीसगढ़

कार्यालय रजिस्ट्रार फर्म्स एवं संस्थाऐं, छत्तीसगढ़

इन्द्रावती भवन, ब्लॉक--एक, तृतीय तल, अटल नगर, नवा रायपुर

(Telephone - 0771-2282549, helpline - 0771-2511594, email - rfs.cg@gov.in, website - rfas.cg.nic.in)

क्रमांक / रि–35328 / 2016 / 612 / 23 नवा रायपुर, दिनांक 28/12/2023

प्रति,

अध्यक्ष / सचिव
एम.आर.एकेडमिक सोसायटी
वार्ड कमांक–15, गार्डन पानी टंकी के पास, गुरू घांसीदास चौक, तिल्दा नेवरा, रायपुर
तह. व जिला–रायपुर।

विषयः– छत्तीसगढ़ सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1973 (संशोधित 1998) की धारा–29 के अधीन कार्यकारिणी की प्रमाणित प्रतिलिपि बाबत् ।

संदर्भ :– आपकी ओर प्रस्तुत प्रस्ताव प्राप्त दिनांक 26.12.2023 एवं 28.12.2023

----00----

संस्था एम.आर.एकेडमिक सोसायटी, तिल्दा, जिला–रायपुर, छत्तीसगढ़ सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1973 (संशोधित 1998) के तहत् पंजीयन क्रमांक–35328, दिनांक 25.07.2016 द्वारा पंजीकृत है, जिस पर उक्त अधिनियम के समस्त प्रावधान प्रभावशील होते हैं।

संस्था द्वारा दिनांक 03.10.2023 को आयोजित आमसभा के बैठक की जानकारी नियत प्रपत्र पर इस कार्यालय में दिनांक 26.12.2023 एवं 28.12.2023 को फायलिंग शुल्क रूपये 4000/–ईचालान कमांक–66111223001532, दिनांक 25.12.2023, रूपये 4000/–ईचालान कमांक–66111223001534, दिनांक 25.12.2023 एवं रूपये 4000/–ईचालान क्रमांक–66111223001535, दिनांक 25.12.2023 जमा कराकर प्रस्तुत करते हुए सूची प्रदाय करने हेतु धारा–29 के अधीन रूपये 40/–ईचालान क्रमांक–66111223001543, दिनांक 25.12.2023 की प्रति प्रस्तुत किया गया है। संस्था अध्यक्ष, सचिव एवं कोषाध्यक्ष द्वारा कार्यकारिणी के निर्वाचन व सदस्यता को लेकर कोई विवाद नहीं है, का शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है।

अतः संस्था द्वारा प्रस्तुत सूची को धारा–27 के अधीन दिनांक 28.12.2023 को उपरोक्त शपथ पत्र के आधार पर रिकार्ड पर दर्ज किया गया है, जिसमें निम्नानुसार कार्यकारिणी पदाधिकारियों/सदस्यों के नामों का उल्लेख है :–

कमांक	पदाधिकारी का नाम	पदनाम
01	श्री हरीश छत्तानी	अध्यक्ष
02	नेहा छत्तानी	उपाध्यक्ष
03	मान्या छत्तानी	सचिव
04	दुर्गादेवी छत्तानी	संयुक्त सचिव
05	अमित छत्तानी	कोषाध्यक्ष
06	दिलीप लालवानी	सदस्य
07	संगीता लालवानी	सदस्य

अतः एतद द्वारा आज दिनांक 28/12/2023 को प्रमाणित प्रतिलिपि जारी की जाती है।

(आर.आर.राजभानु)
डिप्टी रजिस्ट्रार
फर्म्स एवं संस्थाएं, रायपुर संभाग
(छ.ग.)

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

दस रुपये रु.10

TEN RUPEES Rs.10

Stamp Cancelled

सत्यमेव जयते

उप पंजीयक ... फर्म्स एवं संस्थाएं, रायपुर

INDIA NON JUDICIAL

छत्तीसगढ़ CHHATTISGARH

21AA 928473

संस्था एम. आर. एकेडमिक सोसायटी, तिल्दा, पंजीयन क्रमांक- 35328, दिनांक 25.07.2016, जिला- रायपुर के प्रति के उपयोग हेतु।

आर.आर. राजभानु
समितियों के डिप्टी रजिस्ट्रार
रायपुर संभाग

विक्रेता

क्रमांक 2503 दिनांक 26/2/23

नाम एम. आर. एण्ड ओक सोसायटी

साकिन तिल्दा ... रायपुर (छ.ग.)

कीमती स्टाम्प 10/- ... किसी प्रयोजन

मार्फत हरीश छलानी

नाम ...

साकिन ... रायपुर (छ.ग.)

(हस्ताक्षर)
...साहू
स्टाम्प वेन्डर, तिल्दा-नेवरा
तह.-तिल्दा, जिला-रायपुर (छ.ग.)

14 JUN 2023

Annexure No. 05

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

दस रुपये रु.10

TEN RUPEES Rs.10

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

छत्तीसगढ़ CHHATTISGARH

15AA 243277

एल. आर. एकेडमीक सो. सायटी रायपुर
पं० क्र 3S328 ज्ञापन के साथ संलग्न।
28/3/16

(आर.आर. राजभान्)
समितियों के असिस्टेन्ट रजिस्ट्रार
रायपुर सम्भाग

क्रमांक 13617 दिनांक 18.12.2017 कीमत 101

विक्रेता एस. उमा एकाउंटेंट कलेक्टर

पिता / पति / बेवा

निवासी तिल्दा रायपुर जिला रायपुर (छ.ग.)

मार्फत एस. के. शर्मा रह.

क्रेता

पिता / पति / बेवा

निवासी जिला रायपुर (छ.ग.)

वास्ते नोटरी बैनामा प्रतिफल मुद्रांक

DISTRICT TREASURY OFFICER
13 DEC 2017
RAIPUR (CHHATTISGARH)

कृष्ण कुमार चंद्राकर
स्टाम्प पेपर विक्रेता
सिविल कोर्ट, रायपुर (छ.ग.)

(5)

<u>प्रारूप कमांक –1</u>

समितियों के पंजीयन हेतु ज्ञापन– पत्र

(देखिये नियम–3)

1. सोसायटी का नाम : "एल. आर. एकेडमिक सोसायटी, तिल्दा" होगा ।

2 सासाइटी का प्रधान कार्यालय : वार्ड क्रमांक 15, गार्डन पानी टंकी के पास गुरु घासीदास चौक नेवरा पोस्ट नेवरा, तहसील -तिल्दा जिला- रायपुर

3. संस्था का कार्यक्षेत्र : सम्पूर्ण रायपुर जिला(छ.ग.) होगा ।

4 सोसाइटी के उद्देश्य निम्नलिखित होगे :–

1. छात्र-छात्राओं को पूर्व प्राथमिक, प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक, सीनियर उच्च माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा के लिए कॉलेज शिक्षा प्रदान करना, विद्यालय एवं उनका सुचारू रूप से संचालन करना एवं उनका रख-रखाव करना।
2. विभिन्न स्तरों पर खेल एवं खिलाडियों के विकास के लिए प्रतियोगिताएं और प्रशिक्षण शिविरों का आयोजन करना।
3. छात्र-छात्राओं को कम्प्यूटर/इन्जीनियरिंग/आयुर्वेद एवं चिकित्सा अनुसंधान की व्यवस्था करना।
4. छात्र-छात्राओं के लिए चिकित्सा की शाखाओं में अनुसंधान हेतु बहुउद्देशीय एवं बहुस्तरीय योजना तैयार कर क्रियान्वित करना ।
5. चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान के अन्तर्गत प्रशिक्षण। विभिन्न विषयों में प्रशिक्षण संस्थाओं का इन्तजाम करना और प्रबन्ध करना।
6. चिकित्सा और शिक्षा से संबंधित विभिन्न विषयों पर या विधाओं पर अनुसंधान करवाना।
7. उपरोक्त शैक्षणिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए व्यावसायिक शिक्षा एवं सरकारी नौकरियों में अधिक से अधिक छात्रछा त्राओं को सफल होने के लिए विभिन्न कोचिंग कक्षाओं की व्यवस्था करना।

5. समिति के प्रबंध विनियमों द्वारा समिति के कार्यो का प्रबंध शासक परिषद संचालक सभा या शासी –निकास को सौंपा गया है जिनके नाम , पते तथा उपजीविका नीचे विनिर्दिष्ट की गई है ।

अनु	नाम/पिता/ पति_का नाम	पता	उपजीविका
1	2	3	4
1	हरीश छत्तानी पिता-लीलाराम छत्तानी	146, गायत्री मंदिर रोड पो. नेवरा वार्ड क्र.6 तिल्दा, रायपुर छ.ग.	व्यवसायी
2	नेहा छत्तानी पति - हरीश छत्तानी	146, गायत्री मंदिर रोड पो. नेवरा वार्ड क्र.6 तिल्दा, रायपुर छ.ग.	गृहिणी
3	अमित कुमार छत्तानी पिता- लीलाराम छत्तानी	146, गायत्री मंदिर रोड पो. नेवरा वार्ड क्र.6 तिल्दा, रायपुर छ.ग	व्यवसायी
4	मान्या छत्तानी पति- अमित कुमार छत्तानी	146, गायत्री मंदिर रोड पो. नेवरा वार्ड क्र.6 तिल्दा, रायपुर छ.ग.	गृहिणी
5	दिलीप लालवानी पिता- मंगत राम लालवानी	गली क्र.- 7 सिंधी कॉलोनी वार्ड क्र.20 राजनांदगांव, छ.ग.	व्यवसायी
6	संगीता लालवानी पति- दिलीप लालवानी	गली क्र.- 7 सिंधी कॉलोनी वार्ड क्र.20 राजनांदगांव, छ.ग.	गृहिणी
7	दुर्गा देवी छत्तानी पति- लीलाराम छत्तानी	146, गायत्री मंदिर रोड पो. नेवरा वार्ड क्र.6 तिल्दा, रायपुर छ.ग..	गृहिणी

सहायक रजिस्ट्रार फर्म्स एवं संस्थाएं, रायपुर संभाग छत्तीसगढ़

आवेदन का दिनांक 13/7/16
पंजीयन क्रमांक 3532
दिनांक 25/7/16
पंजीयन स्वीकृति दिनांक
सहायक रजिस्ट्रार

5. छत्तीसगढ सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1973 (कमांक 44 सनफ 1973) की धारा 6 की उपधारा (3) द्वारा यथा अपेक्षित सोसाइटी के विनियम का सम्यक रूप से प्रमाणित प्रति इस प्रतिष्ठान ज्ञापन के साथ फाईल की गई है । हम विभिन्न व्यक्ति , जिनके नाम और पते नीचे लिखे गए है ,

Harish (1) Neha 2 Amit 3 Manya 4 Dilip 5 Sangeeta 6 दुर्गा 7

अनु	नाम / पिता / पति का नाम	पता	हस्ताक्षर
1	हरीश छत्तानी पिता-लीलाराम छत्तानी	146, गायत्री मंदिर रोड पो. नेवरा वार्ड क्र.6 तिल्दा, रायपुर छ.ग.	Harish
2	नेहा छत्तानी पति - हरीश छत्तानी	146, गायत्री मंदिर रोड पो. नेवरा वार्ड क्र.6 तिल्दा, रायपुर छ.ग.	Neha
3	अमित कुमार छत्तानी पिता- लीलाराम छत्तानी	146, गायत्री मंदिर रोड पो. नेवरा वार्ड क्र.6 तिल्दा, रायपुर छ.ग	Amit
4	मान्या छत्तानी पति- अमित कुमार छत्तानी	146, गायत्री मंदिर रोड पो. नेवरा वार्ड क्र.6 तिल्दा, रायपुर छ.ग.	Manya
5	दिलीप लालवानी पिता- मंगत राम लालवानी	गली क्र.- 7 सिंधी कॉलोनीए वार्ड क्र.20 राजनांदगांवए छ.ग.	Dilip
6	संगीता लालवानी पति- दिलीप लालवानी	गली क्र.- 7 सिंधी कॉलोनीए वार्ड क्र.20 राजनांदगांवए छ.ग.	Sageeta
7	दुर्गा देवी छत्तानी पति- लीलाराम छत्तानी	146, गायत्री मंदिर रोड पो. नेवरा वार्ड क्र.6 तिल्दा, रायपुर छ.ग.	दुर्गा देवी

सहायक पंजीयक, फर्म्स एवं संस्थाएँ, रायपुर, छत्तीसगढ़

दिनांक

प्रतिं,

सोसाइटीयो के रजिस्ट्रार

प्रस्तुत करने का दिनांक 13/7/16
आवेदन क्रमांक 2328
दिनांक 25/7/16
आवेदन स्वीकृति दिनांक
सहायक रजिस्ट्रार

260 ... 386 ... 15/12/12
द्वारा किया गया है यह पंजीयन क्र. 35328
दिनांक 25/7/16 द्वारा पंजीकृत संस्था की
उस दस्तावेज की प्रमाणित प्रति है, जारी की
दिनांक 17/12/16

(आर. आर. राजभानु)
समितियों के असिस्टेन्ट रजिस्ट्रार
रायपुर संभाग

साक्षी

MASC & ASSOCIATES RAIPUR (C.G.) Chartered Accountants

हस्ताक्षर

नाम CA MUKESH KR. ANDANI

पता Shop No.-205 Lalganga Midas Rafnagar, Raipur

Annexure

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

दस रुपये

TEN RUPEES

रु.10

Rs.10

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

छत्तीसगढ़ CHHATTISGARH

15AA 243276

संस्थाएं, रायपुर संभाग, छत्तीसगढ़

एन आर एकेडमिक सोसायटी रायपुर
प० क्र० 36328 / 2013/16 नियमावली के साथ संलग्न

(आर.आर. राजभानू)
समितियों के असिस्टेंट रजिस्ट्रार
रायपुर सम्भाग
19/1/16

नियमावली

ना० 1790
19/4/12

1. सोसायटी का नाम : "एल. आर. एकेडमिक सोसायटी, तिल्दा " होगा ।

2 सासाइटी का प्रधान कार्यालय : वार्ड क्रमांक 15, गार्डन पानी टंकी के पास गुरु घासीदास चौक नेवरा पोस्ट नेवरा, तहसील -तिल्दा जिला- रायपुर

3. संस्था का कार्यक्षेत्र : संपूर्ण रायपुर जिला(छ.ग.) होगा ।

4 **सोसाइटी के उद्देश्य निम्नलिखित होगे :-**

1. छात्र-छात्राओं को पूर्व प्राथमिक, प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक, सीनियर उच्च माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा के लिए कॉलेज शिक्षा प्रदान करना, विद्यालय एवं उनका सुचारू रूप से संचालन करना एवं उनका रख रखाव करना।
2. विभिन्न स्तरों पर खेल एवं खिलाडियों के विकास के लिए प्रतियोगिताएं और प्रशिक्षण शिविरों का आयोजन करना।
3. छात्र-छात्राओं को कम्प्यूटर/इन्जीनियरिंग/आयुर्वेद एवं चिकित्सा अनुसंधान की व्यवस्था करना।
4. छात्र-छात्राओं के लिए चिकित्सा की शाखाओं में अनुसंधान हेतु बहुउद्देशीय एवं बहुस्तरीय योजना तैयार कर क्रियान्वित करना ।
5. चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान के अन्तर्गत प्रशिक्षण। विभिन्न विषयों में प्रशिक्षण संस्थाओं का इन्तजाम करना और प्रबन्ध करना।
6. चिकित्सा और शिक्षा से संबंधित विभिन्न विषयों पर या विधाओं पर अनुसंधान करवाना।
7. उपरोक्त शैक्षणिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए व्यावसायिक शिक्षा एवं सरकारी नौकरियों में अधिक से अधिक छात्रछा त्राओं को सफल होने के लिए विभिन्न कोचिंग कक्षाओं की व्यवस्था करना।

सहायक रजिस्ट्रार फर्म्स एवं संस्थाएँ, रायपुर

प्रस्तुत करने का दिनांक 12/7/16
क्रमांक 35292
दिनांक 27/7/16
संशोधन स्वीकृति दिनांक
सहायक रजिस्ट्रार

5. **सदस्यता.** – संस्था के निम्नलिखित श्रेणी के सदस्य होंगे.

(अ) **संरक्षण सदस्य.** – जो व्यक्ति संस्था के चंदे के रूप में रूपये **.10000/–** या अधिक रूपये संस्था एकमुश्त या साल में बारह किश्तों में देगा वह संरक्षण सदस्य होगा .

(ब) आजीवन सदस्य - जो व्यक्ति संस्था को चंदे के रूप में रूपए 5000 या अधिक देगा वह आजीवन सदस्य बन सकेगा. कोई भी सदस्य रूपए 5000 या अधिक देकर संरक्षण सदस्य बन सकता है.

(ब) **साधारण सदस्य.**– जो व्यक्ति संस्था को चंदे के रूप में रूपए 1000 प्रतिवर्ष देगा वह साधारण सदस्य बन सकेगा. साधारण सदस्य केवल उसी अवधि के लिए सदस्य होगा जिसके लिए उसने चन्दा दिया है जो साधारण सदस्य बना संतोषजनक कारणों के छः माह तक देय चंदे की राशि देने पर पुनः सदस्य बनाया जा सकता है ।

Harish Neha Manya Sugeeta

(स) **सम्मानीय सदस्य.**— संस्था की प्रबंधकारिणी किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को उस समय के लिये जो भी वह उचित समझें सम्मानीय सदस्य बना सकती है ऐसे सदस्य साधारण सभा की बैठक में भाग ले सकते हैं परन्तु उनको मत दने का अधिकार न होगा ।

6. **सदस्यता की प्राप्ति.**— प्रत्येक व्यक्ति जो कि समिति का सदस्य बनने का इच्छुक हो लिखित रूप में आवेदन करना होगा. ऐसा आवेदनपत्र प्रबंधकारिणी समिति को प्रस्तुत होगा जिसके आवेदन पत्र को स्वीकार करने या अमान्य करने का अधिकार होगा.

7. **सदस्यों की योग्यता.**— संस्था का सदस्य बनने के लिये किसी व्यक्ति में निम्नलिखित योग्यता होना आवश्यक है :—

(1) आयु 18 वर्ष से कम न हो. (2) भारतीय नागरिक हो. (3) समिति के नियमों के पालन की प्रतिज्ञा की हो. (4) सद्चरित्र हो तथा मद्यपान न करता हो.

8. **सदस्यता की समाप्ति.**— संस्था की सदस्यता निम्नलिखित स्थिति में समाप्त हो जावेगी

(1) मृत्यु हो जाने पर (2) पागल हो जाने पर (3) संस्था को देय चन्दे की रकम नियम 5 में बताये अनुसार जमा न करने पर (4) त्याग–पत्र देने पर और वह स्वीकार होने पर. (5)चरित्रिक दोष होने पर और कार्यकारिणी समिति के निर्णयानुसार निकाल दिये जाने पर जिसके निर्णय पारित होने की सूचना सदस्य को लिखित रूप में देना होगी. (6) वार्षीक साधारण मे निर्धारीत उपस्थीति से कम उपस्थीति होने पर.

9. **संस्था कार्यालय में सदस्य पंजी रखी जावेगी जिसमे निम्न ब्यौरे दर्ज किये जावेंगे**

(1) प्रत्येक सदस्य का नाम, पता, फोन नं., मो. नं., ई–मेल पता तथा व्यवसाय.

(2) वह तारीख जिसको सदस्यों को प्रवेश दिया गया हो व रसीद नं.

(3) वह तारीख जिससे सदस्यता समाप्त हुई हो.

(4) सदस्यों के हस्ताक्षर—

प्रस्तुत करने का दिनांक 12/7/16
पंजीयन क्रमांक 35228
दिनांक 25/7/16
संशोधन स्वीकृति दिनांक
सहायक रजिस्ट्रार

10. (अ) **साधारण सभा.**— साधारण सभा में नियम 5 में दर्शाए श्रेणी के सदस्य समावेशित होंगे. साधारण सभा की बैठक आवश्यकतानुसार हुआ करेंगी. परन्तु वर्ष में एक बार बैठक अनिवार्य होगी. बैठक का माह फोरम का स्थापना दिवस वाला माह अर्थात (जून) होगा तथा बैठक का स्थान व समय कार्यकारिणी समिति निश्चित् कर 15 दिवस पूर्व प्रत्येक सदस्य को दी जावेगी. बैठक का कोरम–3/5 सदस्यों का होगा. संस्था की प्रथम आम सभा पंजीयन दिनांक से 3 माह के भीतर बुलाई जावेगी. उसमें संस्था के पदाधिकारियों का विधिवत् निर्वाचन किया जावेगा . यदि संबंधित आमसभा का आयोजन किसी समय नहीं किया जाता तो पंजीयक को अधिकार होगा कि वह संस्था की आमसभा का आयोजन किसी जिम्मेदार कर्मचारी के मार्गदर्शन में एवं पदाधिकारियों का विधिवत् चुनाव कराया जावेगा.

Neha Manya Sujeeta

(ब) **प्रबंधकारिणी सभा.**– प्रबंधकारिणी सभा बैठक प्रत्येक माह होगी तथा बैठक का एजेण्डा तथा सूचना बैठक दिनांक से सात दिन पूर्व कार्यकारिणी के प्रत्येक सदस्य को भेजी जाना आव''यक होगी. बैठक में कोरम 1/2 सदस्यों की होगी. यदि बैठक का कोरम पूर्ण नही होता है तो बैठक एक घंटे के लिये स्थाागित की जाकर उसी स्थान पर उसी दिन पुनः की जा सकेगी जिसके लिये कोरम की कोई शर्त न होगी .

(स) **विशेष** – यदि कम से कम कुल संख्या (कुल सदस्यों की संख्या का) के 2/3 सदस्यों द्वारा लिखित रूप से बैठक बुलाने हेतु आवेदन करें तो उनके द''ीये विषय पर विचार करने के लिये साधारण सभा की बैठक बुलाई जावेगी. वि''ष संकल्प पारित हो जाने पर संकल्प की प्रति बैठक पंजीयक को संकल्प पारित हो जाने के दिनांक से 45 दिन के भीतर भेजा जावेगा. पंजीयक को इस संबंध में आव''यक निर्देश जारी करने तथा समिति को पराम''ी देने का अधिकार होगा।

सहायक रजिस्ट्रार फर्म्स एवं संस्थाऐं, रायपुर संभाग छत्तीसगढ़

11. **साधारण सभा के अधिकार व कर्तव्य.**–

(क) संस्था के पिछले वर्ष का वर्षिक प्रगति प्रतिवेदन स्वीकृत करना .

(ख) संस्था की स्थाई निधि व सम्पत्ति की ठीक व्यवस्था करना .

(ग) आगामी वर्ष के लिये लेखा परीक्षकों की नियुक्ति करना.

(घ) अन्य ऐसे विषयों पर विचार करना जो प्रबन्धकारिणी द्वारा प्रस्तुत हो.

(च) संस्था द्वारा संचालित संस्थाओं के आय–व्यय पत्रक को स्वीकृत करना.

(छ) बजट का अनुमोदन करना.

प्रस्तुत करने का दिनांक 17/11/16
पंजीयन क्रमांक 2532?
दिनांक 25/11/16
संशोधन स्वीकृति दिनांक
सहायक रजिस्ट्रार

12. **प्रबन्धकारिणी का गठन.**– ट्रस्टीज यदि कोई हो समिति के पदेन सदस्य रहेंगे. नियम 5 (अ,ब,स) में द''ीये गये सदस्यों जिनके नाम पंजी रजिस्टर में दर्ज हों बैठक में बहुमत के आधार पर निम्नांकित पदाधिकारियों तथा प्रबंधकारिणी समिति के सदस्यों का निर्वाचन होगा.।

(1) अध्यक्ष (2) उपाध्यक्ष (3) सचिव (4) संयुक्त सचिव (5) कोषाध्यक्ष (6) एवं (7) सदस्य ।

13. **प्रबंध समिति का कार्यकाल.**– प्रबंध समिति का कार्यकाल एक वर्ष होगा समिति का यथेष्ट कारण होने पर उस समय तक जब तक कि नई प्रबंधकारिणी समिति का निर्माण नियमानुसार या अन्य कारणों से नही हो जाता, करती रहेगी किन्तु उक्त अवधि 6 माह से अधिक नहीं होगी . जिसका अनुमोदन साधारण सभा से कराना अनिवार्य होगा।

Kanak Neha Manya Keerthi दुर्गा द्विवेदी

14. **प्रबंधकारिणी के अधिकार व कर्तव्य.–**

(अ) जिन उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु समिति का गठन हुआ है उसकी पूर्ति करना और इस आशय की पूर्ति हेत व्यवस्था करना.

(ब) पिछले वर्ष का आय–व्यय का लेखा पूर्णतः परीक्षित किया हुआ प्रगति प्रतिवेदन के साथ प्रतिवर्ष साधारण सभा की बैठक में प्रस्तुत करना.

(स) समिति एवं उसके अधीन संचालित संस्थाओं के कर्मचारियों के वेतन तथा भत्ते आदि का भुगतान करना. संस्था की चल–अचल सम्पत्ति पर लगने वाले कर आदि का भुगतान करना.

(द) कर्मचारियों, शिक्षकों आदि की नियुक्ति करना.

(ई) अन्य आवश्यक कार्य करना, जो साधारण सभा द्वारा समय–समय पर सौंपे जाए.

(फ) संस्था की समस्त चल–अचल संपत्ति, कार्यकारिणी समिति के नाम से रखी जावेगी.

(छ) संस्था द्वारा कोई भी स्थाबर संपत्ति, रजिस्ट्रार की लिखित अनुज्ञा के बिना विक्रय द्वारा या अन्यथा अर्जित या आन्तरित नहीं की जाएगी.

(ज) विशेष बैठक आमंत्रित कर संस्था के विधान में संशोधन किये जाने के प्रस्ताव पर विचार–विमर्श कर साधारण सभा की विशेष बैठक में उसकी स्वीकृति हेतु प्रस्तुत करेगी. साधारण सभा में कुल सदस्यों 2/3 मत से संशोधित पारित होने पर उक्त प्रस्ताव पारित कर पंजीयक की अनुमोदन हेतु भेजा जावेगा.

15. **अध्यक्ष के अधिकार.–** अध्यक्ष साधारण सभा तथा प्रबंधकारिणी समिति की समस्त बैठको की अध्यक्षता करेगा तथा मंत्री द्वारा साधारण सभा में प्रबंधकारिणी की बैठको का आयोजन करवायेगा. अध्यक्ष का मत विचारार्थ विषयों में निर्णयात्मक होगा.

16. **उपाध्यक्ष के अधिकार** - अध्यक्ष की अनुपस्तिथि में उपाध्यक्ष द्वारा साधारण सभा एवं प्रबंधकारिणी की समस्त बैठकों की अध्यक्षता करेगा. अध्यक्ष के समस्त अधिकारों का उपयोग करेगा.

17. **सचिव (मंत्री) के अधिकार.–**

(1) साधारण सभा एवं प्रबंधकारिणी की बैठक समय–समय पर बुलाना और समस्त आवेदनपत्र तथा सुझाव जो प्राप्त हों प्रस्तुत करना.

(2) समिति का आय–व्यय का लेखा परीक्षण से प्रतिवेदन तैयार करके साधारण सभा के सम्मुख प्रस्तुत करना.

(3) समिति के सारे कागजातों को तैयार करना तथा करवाना. उनका निरीक्षण करना व अनियमितता पाये जाने पर उसकीसूचना प्रबंधकारिणी को देना.

(4) सचिव को किसी कार्य के लिये एक समय में रूपये **50000** रू खर्च करने अधिकार होगा.

18. **सयुक्त सचिव के अधिकार** - सचिव की अनुपस्थिति में सयुक्त सचिव कार्य करेगा.

19. **कोषाध्यक्ष के अधिकार.–** समिति को धनराशि का पूर्ण हिसाब रखना तथा सचिव या कार्यकारिणी द्वारा स्वीकृत व्यय करना.

20. **बैंक खाता.–** संस्था की समस्त निधि किसी अनुसूचित बैंक या पोस्ट आफिस में रहेगी. धन का आहरण अध्यक्ष या मंत्री तथा कोषाध्यक्ष के संयुक्त हस्ताक्षरों से होगा. दैनिक व्यय हेतु कोषाध्यक्ष के पास अधिकतम रूपये **50000** रू होगा.

21. **पंजीयक को भेजी जाने वाली जानकारी .–** अधिनियम की धारा 27 के अंतर्गत संस्था की वार्षिक आमसभा होने के दिनांक से 45 दिन के भीतर निर्धारित प्रारूप पर कार्यकरिणी समिति की सूची फाइल की जावेगी तथा धारा 28 के अंतर्गत संस्था की परीक्षित लेखा मय नियत शुल्क के साथ भेजेगी.

22. **संशोधन.–** संस्था के विधान में संशोधन साधारण सभा की बैठक में कुल सदसें के 2/3 मतो से पारित होगा. यदि आव''यक हुआ तो संस्था हित में उसके पंजीकृत विधान में स''ोधन करने के अधिकार पंजीयक फर्म्स एवं संस्थाएं को होगा जो प्रत्येंक सदस्य को मान्य होगा. संस्था के विधान में संशोधन हेतु प्रस्ताव मय नियत शुल्क सहित प्रस्तुत की जायेगी ।

23. **विघटन.–** संस्था का विघटन साधारण सभा में कुल सदस्यों के 3/5 मत से पारित किया जावेगा. विघटन के पश्चात संस्था की चल तथा अचल संपत्ति किसी समान उद्‌देश्यों वाली संस्था को सौप दी जावेगी . उक्त समस्त कार्यवाही अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार की जावेगी ।

24. **सम्पत्ति.–** संस्था की समस्त चल तथा अचल सम्पत्ति संस्था के नाम से रहेगी. संस्था की अचल संपत्ति (स्थावर) रजिस्ट्रार फर्म्स एवं संस्थाएं की लिखित अनुज्ञा के बिना विकय द्वारा, दान द्वारा

या अन्यथा प्रकार से अर्जित या अन्तरित नही की जा सकेगी एवं उक्त हेतु नियत शुल्क संस्था द्वारा जमा की जायेगी.

25. **बैंक खाता.**– संस्था की समस्त निधि किसी अनूसूचित बैंक या पोस्ट आफिस में खोला जावेगा एवं समय–समय पर धन जमा करने व निकालने की प्रकिया जारी रहेगी.

पंजीयक द्वारा बैठक बुलाना.– संस्था की पंजीयत नियमावली के अनुसार पदाधिकारियों द्वारा वार्षिक बैठक ना बुलाए जाने पर या अन्य प्रकार से आव"यक होने पर पंजीयक , फर्म्स एवं संस्थाए की बैठक बुलाने का अधिकार होगा. साथ ही यह बैठक में विचारार्थ विषय नि"चत कर सकेगा. । 25.

विवाद.– संस्था में किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न होने पर अध्यक्ष को साधारण सभा के अनुमति से सुलझाने का अधिकार होगा . यदि इस निश्चित या निर्णय से पक्षो को संतोष न हो तो वह रजिस्ट्रार की ओर विवाद के निर्णय के लिये भेज सकेंगे. रजिस्ट्रार का निर्णय अन्तिम व सर्वमान्य होगा. संचालित शाखाओं के विवाद अथवा प्रबन्ध समिति के विवाद उत्पन्न होने पर अन्तिम निर्णय देने का अधिकार रजिस्ट्रार को होगा. ।

सहायक रजिस्ट्रार फर्म्स एवं संस्थाएं

चालान क्र. ... पंजीयन क्र. ... पंजीकृत संस्था की दस्तावेज की प्रमाणित प्रति है, जारी होने दिनांक ...

प्रस्तुत करने का दिनांक ...
पंजीयन क्रमांक ...
दिनांक ...
पंजीयन स्वीकृति दिनांक ...
सहायक रजिस्ट्रार

(आर. आर. राजभानु)
समितियों के असिस्टेन्ट रजिस्ट्रार
रायपुर सम्भाग